(14)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 87/2021

दायरा दिनांक–09–11–2021

1. लिछमी देवी पुत्री रामदेव पत्नी पूर्णमल
2. हीरालाल पुत्र जगदीश पौत्र रामदेव
3. देवराज पुत्र जगदीश पौत्र रामदेव
4. कोमल पुत्री जगदीश पौत्री रामदेव
5. गोपी पुत्र दोलतराम पौत्र रामदेव
6. पूर्णचन्द पुत्र दोलतराम पौत्र रामदेव
7. कन्हैया पुत्र दौलतराम पौत्र रामदेव
8. कृष्णा पुत्री दोलतराम पौत्री रामदेव
9. प्रेमलता पुत्री दौलतराम पौत्री रामदेव समस्त जाति रैगर निवासीगण परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) हाल आबाद अमृतसर (पंजाब)

– आवेदकगण

– :: बनाम ::–

1. मीरा पत्नी सुवाराम
2. पवन कुमार पुत्र सुवाराम
3. सुन्दर सिंह पुत्र सुवाराम
4. हरिसिंह पुत्र सुवाराम समस्त जाति रैगर निवासीगण वार्ड नं. 01 एलनाबाद जिला सरसा हाल निवासी म. न. 1663, रविदास नगर मण्डी अदमपुर जिला हिसार।
5. ज्ञानी पुत्री सुवाराम पत्नी कालूराम गाड़ोगॉव जाति रैगर निवासी वार्ड नं. 1 एलनाबाद जिला सरसा।
6. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील अनावेदकगण :– श्री आनन्दीलाल सैनी

<u>प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 19–09–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :– राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में आराजी खसरा नं. 2759 रकबा 2.73 है0 स्थित है। नया खसरा नं. 2759 के तस्दीक वर्ष सम्वत् 2053 से पहले खसरा नम्बर 4585/3385 थे इससे पूर्व पैमाईस से पूर्व खसरा नम्बर 2672 रकबा 10 बीघा 16 विश्वा थे। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 की शामलाती हक अधिकारों की भूमि है।

ग्राम परसरामपुरा में जालू पुत्र दुला जाति रैगर नामक व्यक्ति रहता था। जालू के दो पुत्र रामलाल व रामदेव थे। रामलाल के वारिसान अनावेदक नं. 1 लगायत 5 है तथा रामदेव के वारिसान आवेदकगण है। जिसकी वंशावली प्रार्थना के पृष्ट संख्या 02 पर अंकित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज वंशावली अनुसार आवेदकगण के पूर्वज रामदेव पुत्र जालू व अनावेदकगण के पूर्वज रामलाल दोनों सगे भाई थे। वादग्रस्त भूमि में जालू के दोनो पूत्रों का हिस्सा बराबर बराबर 1/2–1/2 रहा है। तथा इसी अनुसार स्वयं अथवा अन्यों से काश्त करवाते रहे है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामलाल व रामदेव के पिता जालू पुत्र दुला की थी जिसको जालू काश्त करता था जालू के साथ ही उसके पुत्रान् रामदेव व रामलाल उक्त भूमि को काश्त करते थे। अनावेदकगण का पूर्वज दोनों भाईयों

में बड़ा था तथा बाहर के व सरकारी कामकाज वो ही देखता था रामलाल व रामदेव के पिता जालू का देहान्त भी जल्दी उम्र में ही हो गया था इसलिए जालू के बड़े पुत्र रामलाल अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जो गलत दर्ज करवा लिया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में जालू के काश्त की भूमि थी तथा जालू के साथ ही उसके दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव काश्त करते थे। जालू की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का उसके दोनों पुत्रों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए था परन्तु जालू के बड़े पुत्र रामलाल ने अपनी चालाकी से राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का आवेदकगण को खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि को स्व. जालूराम पुत्र दुला के दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव आधी–आधी काश्त करते थे तथा काबिज थे। ग्राम परसरामपुरा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंदोबस्त व खातेदारी का कार्य काफी देरी से शुरू किया गया था। ग्राम परसरामपुरा में प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2021 में बनी थी इससे पूर्व गिरदावरी कब्जे काश्त के अनुसार दर्ज की जाती रही। सम्वत् 2009 से 2012 के चौसाला की गिरदावरी में जालू पुत्र दुला कृषक तथा उसके पुत्रान् रामलाल व रामदेव पुत्रान् जालू काश्तकार दर्ज है जिनके द्वारा लगातार बाजरा मोठ की फसल काश्त किया जाना दर्ज है। इसी चौसाला की गिरदावरी में जालू के फौत होने का इन्द्राज भी आया है वादग्रस्त भूमि के प्रथम पैमाईस के पूर्व सम्वत् 2017 से 2031 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 2150 थे। उक्त पुराने खसरा नम्बर 2150 की आराजी में जालू पुत्र लादू व उनके पुत्रों रामलाल व रामदेवा द्वारा काश्त करने का इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दौरान व उससे पूर्व रहा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को हमेशा से उपरोक्त अनुसार ही काश्त करते रहे है अर्थात उक्त भूमि को पूर्व में जालू पुत्र लादू काश्त करते थे तथा उनके पश्चात उनके दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव आधी–आधी शामलाती व अलग अलग काश्त करते रहे तथा रामलाल व रामदेवा के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान आवेदकगण व अनावेदकगण नं0 1 लगायत 5 अपने हिस्से अनुसार काश्त करते रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड बना उस समय अनावेदकगण का पूर्वज रामलाल चतुर चालाक व होशियार होने, घर में बड़ा होने, पिता जालू के जल्दी उम्र में मृत्यु हो जाने एवं रामदेवा के छोटा होने, भोला होने व जल्दी उम्र में खत्म हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि के रिकॉर्ड में अपने अकेले का नाम दर्ज करवा लिया जो कि आवेदकगण के हक अधिकारों के विपरीत शून्य है। उपरोक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती कृषि भूमि है जिसमें आवेदकगण का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा अनावेदकगण नं0 1 लगायत 5 का है इसी अनुसार हक अधिकार है। आवेदकगण कमाने खाने हेतु बाहर पंजाब में रहते है इसलिए अपने हिस्से की कृषि भूमि को कभी स्वयं कभी अन्यों से काश्त करवाते है तथा कभी कभी बिना काश्त के भी रह जाती है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण का नाम दर्ज रहने से आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि के सुधार करने में काफी समस्या आती है तथा अनावेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित किये जाने का खतरा रहता है। अनावेदकगण भी काफी वर्षो से बाहर इन्दौर में है जिनको जमीन को काश्त करने से ज्यादा सरोकार नही है बल्कि अनावेदकगण को वादग्रस्त भूमि के नाके का भी पता नही है। अनावेदकगण से जब आवेदकगण ने जमीन में नाम दर्ज करवाने की बात की तो पूर्व में तो अनावेदकगण कहते थे आपका हिस्सा 1/2 है जिसको कभी भी आपके नाम करवा देगें। अब आवेदिका नम्बर 1 के लड़के अर्जुन ने जमीन का रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर आवेदकगण का नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 05.08.2021 को कहा तो अनावेदकगण ने मना कर दिया और कहा कि हम तो जमीन नाम करवाने के लिये नही आ सकते है कोर्ट के जरिये ही जमीन नाम करवा लो। आवेदकगण को समाज

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ

के लोगो के जरिये जानकारी मिली है कि अनावेदकगण वादग्रस्त जमीन में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त जमीन में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त जमीन को विक्रय कर नाजायज रूप से रूपयें प्राप्त करना चाहते है। वादग्रस्त जमीन में वादीगण का 1/2 हिस्सा है जिस पर अनावेदकगण का कोई अधिकार नही है ना ही किसी तरह से सम्पूर्ण जमीन को हस्तान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है।

वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के 1/2 हिस्से को अनावेदकगण अपने नाम सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज होने का नाजायज फायदा लेने हेतु नाजायज प्रतिफल लेकर विक्रय कर देंगे, अथवा बैंक में गिरवी रख देगें तो आवेदकगण को अपने वैध अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा तथा मुकदमें बाजी बढ़ेगी तथा इतना नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। इसलिए अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें तथा अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अन्यों को हस्तान्तरित नही करें।

आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है अगर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी। क्षतिपूर्ति होना संभव नही होगा।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 2759 रकबा 2.73 है0 के संबंध में आवेदकगण के 1/2 हिस्से बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नही करें, तथा आवेदकगण को 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करें। तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 व 3 लगायत 5 की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी उपस्थित आये। तथा अनावेदकगण संख्या 02 व 06 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध दिनांक 17.12.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 1 व 3 लगायत 05 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित राजस्व गांव परसरामपुरा की सरहद में आराजी खसरा नं0 2959 रकबा 2.73 है0 स्थित होना एवं उपरोक्त भूमि के तस्दीक वर्ष से पहले खसरा नं0 4585/3385 तथा पैमाईश से पूर्व खसरा नं. 2672 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा होना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि से आवेदकगण एवं अनावेदकगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे तथा काश्त की भूमि है। जिसको विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जाना पूर्णतया गलत एवं आधारहीन है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 [illegible] आवेदकगण द्वारा मिथ्या एवं काल्पनिक वंशावली दर्ज कर अपने आपको गलत तरीके से भूमि का हिस्सेदार होने का आधार बनाया है। जो कतई संभव नही है। यहॉ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रामदेव पुत्र जालू नाम का कोई व्यक्ति अनावेदकगण के परिवार अथवा खानदान में नहीं है। रामलाल जालू राम के मात्र एक जाईन्दा पुत्र था। जिसके नाम उपरोक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड रामलाल के पुत्र सुआराम के नाम दर्ज हुआ तथा सुआराम की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड उसके विधिक वारिसान अनावेदकगण के नाम नियमानुसार दर्ज हुआ है। आवेदकगण अथवा उनके पूर्वजों का रामलाल पुत्र जालू नाम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.द्रे.)
नवलगढ़

व्यक्ति से कभी कोई संबंध नही था। यदि आवेदकगण जालू पुत्र दुला के वंशज होते तो इसकी पुष्टि में कोई ना कोई दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करते।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार दर्ज है। गलत व अस्वीकार है। आवेदकगण का यह कथन पूर्णतया निराधार है। कि आवेदकगण के पूर्वज रामदेव अनावेदकगण के पूर्वज रामलाल का सगा भाई था। बल्कि सत्य बात तो यह है कि रामलाल जालू के एकमात्र जाईन्दा पुत्र था। जिसके अन्य कोई भाई नही था। उपरोक्त भूमि रामलाल की मृत्यु के पश्चात् विधि अनुसार सुवाराम के नाम विरासत के रूप में दर्ज हुई थी। उपरोक्त भूमि को आवेदक अथवा उनके पूर्वज द्वारा कभी काश्त नही की। जब आवेदकगण एवं उनके पूर्वज रामदेव का भूमि से कोई हित ही नही था तो उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज होना कतई संभव नही है। आवेदकगण द्वारा गलत एवं काल्पनिक आधार बनाकर अपने आपको भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार साबित करने का प्रयास किया है। जो कि संभव नही है। आवेदकगण उपरोक्त वर्णित भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार दर्ज है। गलत व अस्वीकार है। स्व0 जालूराम के रामदेव नाम का कोई पुत्र नही था ना ही उसने कभी भूमि को काश्त किया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कही पर भी रामदेव पुत्र जालू का नाम दर्ज नही है। खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड एवं राईट्स नही माना जा सकता। खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदार अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। इस प्रकार आवेदकगण को उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में दावा अथवा प्रार्थना–पत्र व दावे में तमाम तथ्य, मिथ्या, काल्पनिक एवं आधारहीन दर्ज किये है एवं आवेदकगण द्वारा काल्पनिक तथ्यों के आधार बनाकर दावा व प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो चलने योग्य नही है। आवेदकगण को किसी भी प्रकार से कानूनी तौर पर भूमि का खातेदार घोषित नही किया जा सकता।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार दर्ज है। गलत एवं अस्वीकार है। जब प्रार्थना–पत्र एवं वाद–पत्र में वर्णित भूमि से आवेदकगण का कोई सरोकार ही नही है तो भूमि सामलाती होना संभव नही है। आवेदकगण अथवा उनके पूर्वजों द्वारा जब स्वयं ने ही भूमि को काश्त नही किया तब अन्यों से काश्त करवाने का तो संभव ही नही है। जब आवेदकगण का भूमि से कोई हित संबंध अथवा सरोकार नही है तो ऐसी स्थिति में उनको खतरा किस प्रकार हो सकता है। आवेदकगण द्वारा तमाम तथ्य, मिथ्या एवं काल्पनिक दर्ज किए है। आवेदकगण का उपरोक्त वर्णित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। आवेदकगण द्वारा आधारहीन प्रार्थना–पत्र व दावा प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार दर्ज है। गलत एवं अस्वीकार है। आवेदकगण का उपरोक्त वर्णित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिती में उन्हें वैध अधिकारों से महरूम होने अथवा क्षति होने की कोई संभावना नही है। आवेदकगण झूठे मुकदमाबाजी कर अनावेदकगण को ब्लैकमेल करना चाहते है एवं आवेदकगण से रूपया ऐंठने की नीयत से दावा व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदकगण अनावेदकगण को किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है। अनावेदकगण भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। इसलिए आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन चलने योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू आवेदकगण के पक्ष में है। आवेदकगण को किसी भी प्रकार से क्षति होने की कोई संभावना नही है। प्रार्थना–पत्र व दावा खारिज होने योग्य है।

18

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस आवेदकगण अधिवक्ता द्वार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि

आवेदकगण के पूर्वज रामदेव पुत्र जालू व अनावेदकगण के पूर्वज रामलाल दोनों सगे भाई थे। वादग्रस्त भूमि में जालू के दोनो पूत्रों का हिस्सा बराबर बराबर 1/2–1/2 रहा है। इसी अनुसार स्वयं अथवा अन्यों से काश्त करवाते रहे है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामलाल व रामदेव के पिता जालू पुत्र दुला की थी जिसको जालू काश्त करता था जालू के साथ ही उसके पुत्रान् रामदेव व रामलाल उक्त भूमि को काश्त करते थे। अनावेदकगण का पूर्वज दोनों भाईयों में बड़ा था तथा बाहर के व सरकारी कामकाज वो ही देखता था रामलाल व रामदेव के पिता जालू का देहान्त भी जल्दी उम्र में ही हो गया था इसलिए जालू के बड़े पुत्र रामलाल अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जो गलत दर्ज करवा लिया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में जालू के काश्त की भूमि थी तथा जालू के साथ ही उसके दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव काश्त करते थे। जालू की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का उसके दोनों पुत्रों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए था परन्तु जालू के बड़े पुत्र रामलाल ने अपनी चालाकी से राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि को स्व. जालूराम पुत्र दुला के दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव आधी–आधी काश्त करते थे तथा काबिज थे। ग्राम परसरामपुरा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंदोबस्त व खातेदारी का कार्य काफी देरी से शुरू किया गया था। ग्राम परसरामपुरा में प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2021 में बनी थी इससे पूर्व गिरदावरी कब्जे काश्त के अनुसार दर्ज की जाती रही। सम्वत् 2009 से 2012 के चौसाला की गिरदावरी में जालू पुत्र दुला कृषक तथा उसके पुत्रान् रामलाल व रामदेव पुत्रान् जालू काश्तकार दर्ज है जिनके द्वारा लगातार बाजरा मोठ की फसल काश्त किया जाना दर्ज है। इसी चौसाला की गिरदावरी में जालू के फौत होने का इन्द्राज भी आया है वादग्रस्त भूमि के प्रथम पैमाईस के पूर्व सम्वत् 2017 से 2031 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 2150 थे। उक्त पुराने खसरा नम्बर 2150 की आराजी में जालू पुत्र लादू व उनके पुत्रों रामलाल व रामदेवा द्वारा काश्त करने का इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दौरान व उससे पूर्व रहा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को हमेशा से उपरोक्त अनुसार ही काश्त करते रहे है अर्थात उक्त भूमि को पूर्व में जालू पुत्र लादू काश्त करते थे तथा उनके पश्चात उनके दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव आधी–आधी शामलाती व अलग अलग काश्त करते रहे तथा रामलाल व रामदेवा के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान आवेदकगण व अनावेदकगण नं0 1 लगायत 5 अपने हिस्से अनुसार काश्त करते रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड बना उस समय अनावेदकगण का पूर्वज रामलाल चतुर चालाक व होशियार होने, घर में बड़ा होने, पिता जालू के जल्दी उम्र में मृत्यु हो जाने एवं रामदेवा के छोटा होने, भोला होने व जल्दी उम्र में खत्म हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि के रिकॉर्ड में अपने अकेले का नाम दर्ज करवा लिया जो कि आवेदकगण के हक अधिकारों के विपरीत शून्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] को पाबन्द फरमाया जावे।

अनावेदकगण संख्या 1 व 3 [illegible] किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई। [illegible] अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदकगण द्वारा मिथ्या एवं काल्पनिक वंशावली दर्ज कर [illegible] आपको गलत तरीके से भूमि का हिस्सेदार होने का आधार बनाया है जो कि कतई संभव नही है। यहॉ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रामदेव पुत्र जालू नाम का कोई व्यक्ति अनावेदकगण के परिवार अथवा खानदान में नहीं है। रामलाल जालू राम के मात्र एक जाईन्दा पुत्र था। जिसके नाम उपरोक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड रामलाल के पुत्र सुआराम के नाम दर्ज हुआ तथा सुआराम की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड उसके

Signature Not Verified
Digitally Signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

विधिक वारिसान अनावेदकगण के नाम नियमानुसार दर्ज हुआ है। आवेदकगण अथवा उनके पूर्वजों का रामलाल पुत्र जालू नाम के व्यक्ति से कभी कोई संबंध नही था। आवेदकगण जालू पुत्र दुला के वंशज है तो इसकी पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

आवेदकगण के पूर्वज रामदेव अनावेदकगण के पूर्वज रामलाल का सगा भाई था। बल्कि सत्य बात तो यह है कि रामलाल जालू के एकमात्र जाईन्दा पुत्र था। जिसके अन्य कोई भाई नही था। उपरोक्त भूमि रामलाल की मृत्यु के पश्चात् विधि अनुसार सुवाराम के नाम विरासत के रूप में दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि को आवेदक अथवा उनके पूर्वज द्वारा कभी काश्त नही की। जब आवेदकगण एवं उनके पूर्वज रामदेव का भूमि से कोई हित ही नही था तो उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज होना कतई संभव नही है। आवेदकगण द्वारा गलत एवं काल्पनिक आधार बनाकर अपने आपको भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार साबित करने का प्रयास किया है। आवेदकगण उपरोक्त वर्णित भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कही पर भी रामदेव पुत्र जालू का नाम दर्ज नही है। खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड एवं राईट्स नही माना जा सकता। खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदार अधिकार प्रोद्भूत नही होते है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :- दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

यह निर्विवादित है कि राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में आराजी खसरा नं. 2759 रकबा 2.73 है0 स्थित है। नया खसरा नं. 2759 के तस्दीक वर्ष सम्वत् 2053 से पहले खसरा नम्बर 4585/3385 थे इससे पूर्व पैमाईस से पूर्व खसरा नम्बर 2672 रकबा 10 बीघा 16 विश्वा थे। आवेदकगण अधिवक्ता ने उज्र उठाया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि आवेदकगा व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 की शामलाती हक अधिकारों की भूमि है।

आवेदकगण के पूर्वज रामदेव पुत्र जालू व अनावेदकगण के पूर्वज रामलाल दोनों सगे भाई थे। वादग्रस्त भूमि में जालू के दोनो पूत्रों का हिस्सा बराबर बराबर 1/2-1/2 रहा है। इसी अनुसार स्वयं अथवा अन्यों से काश्त करवाते रहे है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामलाल व रामदेव के पिता जालू पुत्र दुला की थी जिसको जालू काश्त करता था जालू के साथ ही उसके पुत्रान् रामदेव व रामलाल उक्त भूमि को काश्त करते थे। जालू की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का उसके दोनों पुत्रों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए था परन्तु जालू के बड़े पुत्र रामलाल अके[illegible] दर्ज हो गई। ग्राम परसरामपुरा में प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2021 में बनी थी [illegible] की जाती रही। सम्वत् 2009 से 2012 के चौसाला की गिरदावरी में ज[illegible] पुत्र दुला कृषक तथा उसके पुत्रान् रामलाल व रामदेव पुत्रान् जालू काश्तकार दर्ज है जिनके द्वा[illegible]गातार बाजरा मोठ की फसल काश्त किया जाना दर्ज है। इसी चौसाला की गिरदावरी में जालू के फौत होने का इन्द्राज भी आया है वादग्रस्त भूमि के प्रथम पैमाईस के पूर्व सम्वत् 2017 से 2031 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 2150 थे। उक्त पुराने खसरा नम्बर 2150 की आराजी में जालू पुत्र लादू व उनके पुत्रों रामलाल व रामदेवा द्वारा काश्त करने का इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. टे.)
नवलगढ

व उससे पूर्व रहा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को हमेशा से उपरोक्त अनुसार ही काश्त करते रहे है अर्थात उक्त भूमि को पूर्व में जालू पुत्र लादू काश्त करते थे तथा उनके पश्चात उनके दोनों पुत्र रामलाल व रामदेव आधी–आधी शामलाती व अलग अलग काश्त करते रहे तथा रामलाल व रामदेवा के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान आवेदकगण व अनावेदकगण नं0 1 लगायत 5 अपने हिस्से अनुसार काश्त करते रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड बना उस समय अनावेदकगण का पूर्वज रामलाल अकेले के नाम दर्ज हो गई जो कि आवेदकगण के हक अधिकारों के विपरीत शून्य है। वाद–खातेदारी घोषणा का है जिसका निस्तारण साक्ष्य सबूत आने पर साबित होना है। प्रकरण में साक्ष्य आने के पश्चात ही वाद का निस्तारण होना है। अतः आवेदकगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रतीत होता।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगणों को वाद के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 2759 रकबा 2.73 है0 के संबंध में आवेदकगण के 1/2 हिस्से बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नही करें, तथा आवेदकगण को 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करें। तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:29:38 IST
Reason: SelfAttested